



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2016

जयपुर, दिनांक : 28.9.2018

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

1. The existing item 18 of Part II of Part-III of GF&AR shall be substituted as under :

S. No.	Nature of Power	Head of Office	Regional Office	Head of Departments	Admn. Departments	Restriction/ Conditions/ Remarks
18.	Hiring of consultancy services/ Professional Services : (1) By inviting direct offers from a single source. (2) By inviting open competitive bids.	- Upto Rs. 5.00 lac in each case	Upto Rs. 100000/- in each case Upto Rs. 10.00 lac in each case	Upto Rs. 4.00 lac in each case Upto Rs. 25.00 lac in each case	Upto Rs. 12.00 lac in each case. Full Powers	1. As per RTPP Act and Rules. 2. Subject to availability of specific budget provision for hiring of consultancy services. 3. The terms of reference of the task desired to be achieved from the consultancy should be properly spelled out. 4. In case of consultancy for a project the amount of consultancy fee should not exceed 2% of the project cost.

आज्ञा से,

(उषस्पति त्रिपाठी)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिवगण ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
8. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
10. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्तगण ।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अदिलम्ब भिजवायें ।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें ।


(हरीश लड्डा)
मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR - 12/2018)

Pg.2 of 2